तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/23	पी.ओ ... /टोंक पधारे है। ... 7/12/23 को पेश हो।	
7/12/23	PO ... दौरे पर बाहर/टोंक पधारे है। ... 1/2/24 को पेश हो।	
1/2/24	पी.ओ सा. अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे है। पत्रावली दि. 12/2/24 को पेश हो।	
12/2/24	आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी मौजूद मिले [illegible] कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 को सूचना बिना तामील [illegible] वास्ते जवाब दिनांक 29/2/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
29/2/24	पी.ओ.सा. अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि. 15/3/24 को पेश हो।	
15/3/24	PO सा ... राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि. 5/4/24 को पेश हो।	
5/4/24	PO सा. अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे है। पत्रावली दि. 15/4/24 को पेश हो।	
15/4/24	आज पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी ने अवसर चाहा पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
29/5/24	पी.ओ.सा. अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे हैं। पत्रावली दि. 5/6/24 को पेश हो।	
5/6/24	आज पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर समाप्त [illegible]	

अहलमद

5/6

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

आदि उभयपक्ष ने बहस की प्रार्थना की प्रार्थना स्वीकार कर उभयपक्ष आदि से बहस सुनी।

आदि प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन में प्रा०पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

आदि अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के हिस्से की हद तक राजस्व व मौके की यथास्थिति कर दी जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। आदि उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। आदि प्राति० ने प्रार्थी के हिस्से की हद तक में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने में कोई आपत्ति नहीं की है अतः प्रा पत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खाता संख्या 1038 ख० नं० 486 रकबा 1.20 हे० वाके ग्राम देवलीगांव तह देवली में ~~मौके व~~ प्रार्थी के हिस्से 13/30 की हद तक मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसलावाद बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद के साथ शामिल हो/ आफिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)